जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीवि/परीक्षा-2/गोपनीय/2020/327 दिनांक 01.06.2020

प्रति,

समस्त प्राचार्य/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, ग्वालियर

विषय :- कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालय की स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा जून, 2020 को सफलता पूर्वक संचालित कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र क्रमांकः 387/आउशि/शा.5'अ'/2020 दिनांक 30.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक लेख है कि विश्वविद्यालय की स्नातक अंतिम वर्ष की शेष परीक्षाएं दिनांक 29.06.2020 से प्रारम्भ होने जा रही हैं। जिसकी विस्तृत समय सारिणी विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर प्रदर्शित हो रही है। साथ ही स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा जून, 2020 भी दिनांक 30.06.2020 से प्रारम्भ होने जा रही हैं।

शासन के निर्देशानुसार परीक्षा केन्द्रों पर सभी विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं शारीरिक दूरी (Social Distanceing) के आधार पर प्रति परीक्षार्थी के बीच **एक मीटर की दूरी** के आधार पर परीक्षार्थियों की कक्षों में व्यवस्था करते हुए सम्पन्न करायी जावेंगी। इस निर्देश का अत्यन्त कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है।

आपसे अनुरोध है कि आपके परीक्षा केन्द्र में वर्तमान परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर (Social Distanceing) को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी, इसकी जानकारी दिनांक 02.06.2020 के सुबह 12 बजे तक प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, श्रीमान अतिरिक्त संचालक, ग्वालियर-चम्बल संभाग एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से प्रदान करें।

यदि परीक्षाओं के संचालन में बैठक व्यवस्था में कमी, कक्षों की कमी या अन्य कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है और आप अपने परीक्षा केन्द्र पर सम्मिलित होने वाले किसी निकट महाविद्यालय/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र के रूप में बनवाना चाहते हैं तो उसका परीक्षार्थी सहित विवरण तत्काल आज ही ई-मेल gwaliorjiwaji@gmail.com पर सूचित करें। जिससे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं को व्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की सके।

संलग्न प्रपत्र :- मध्यप्रदेश शासन का पत्र दिनांक 30.05.2020

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. श्रीमान अतिरिक्त संचालक, ग्वालियर-चम्बल संभाग, मोती महल परिसर, को इस अनुरोध के साथ कि महाविद्यालयों से प्राप्त आवश्यक जानकारी अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि महाविद्यालयों से प्राप्त आवश्यक जानकारी अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. उप/सहा. कुलसचिव (परीक्षा/गोप.), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

उप-कुलसचिव(परीक्षा/गोप.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 387/ – /आउशि/शा. 5'अ'/2020 — भोपाल, दिनांक 29/05/2020 30/5/20

प्रति,

कुलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय– स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के आयोजन के सम्बन्ध में परीक्षा केन्द्रों में वृद्धि विषयक प्रस्ताव प्रेषित करने बाबत।

सन्दर्भ– 1. उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 311/67/2020/38/सी.सी. भोपाल दिनांक 28/05/2020

2. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग की जूम विडियो कॉफ्रेसिंग दिनांक 25/05/2020

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में प्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों की स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है।

कोरोना कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में शारीरिक दूरी (Social Distancing) के आधार पर परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था की समीक्षा करते हुये परीक्षा केन्द्रों का विस्तार किया जाना अत्यावश्यक है।

अतः आपके क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों से परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था के आधार पर नवीन परीक्षा केन्द्रों के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत जानकारी के साथ दिनांक 02/06/2020 तक अकादमिक शाखा के ई–मेल academy-he@mp.gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

'आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित'

30/5/20

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 388/ /आउशि/शा. 5'अ'/2020 — भोपाल, दिनांक 29/05/2020 30/5/20

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)।
3. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
5. वि.क.अ. उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की ओर विभागीय "वेबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

——की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश